भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 3034
गुरुवार, 7 अगस्त, 2025/16 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानपत्तनों का कार्य-निष्पादन

3034. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:
क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेवा गुणवत्ता, विमानपत्तन सेवा गुणवत्ता रैंकिंग, कार्गो दक्षता और यात्री संतुष्टि पर आधारित तुलनात्मक आकलन में वर्ष 2019 में पट्टे पर दिए गए विमानपत्तनों और अन्य सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत संचालित विमानपत्तनों के बीच महत्वपूर्ण अंतर दर्शाए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 2019 में आयोजित की गई पट्टा संबंधी प्रक्रिया में पूर्व विमानपत्तन संचालन अनुभव सहित मानक वित्तीय और तकनीकी पात्रता मानदंडों का पूरी तरह से पालन किया गया था और यदि हाँ, तो उक्त मानदंडों से किसी भी विचलन का ब्यौरा क्या है;

(ग) समान पीपीपी विमानपत्तनों की तुलना में वर्ष 2019 में पट्टे पर दिए गए विमानपत्तनों पर वर्तमान उपयोगकर्ता विकास शुल्क (यूडीएफ), यात्री सेवा शुल्क (पीएसएफ) और अन्य प्रमुख शुल्क क्या हैं और किसी भी प्रकार के परिवर्धित प्रशुल्क के क्या कारण हैं;

(घ) मूल बोली प्रतिबद्धताओं और अन्य पीपीपी ऑपरेटरों की तुलना में अधिग्रहण के बाद से उक्त विमानपत्तनों पर किए गए पूंजी निवेश और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार में कितना बदलाव आया है; और

(ङ) वर्ष 2019 में पट्टे पर दिए गए विमानपत्तनों पर मूल्य निर्धारण या सेवा संबंधी कमियों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है और उनकी प्रकृति क्या है और इसके जवाब में क्या विनियामक या संविदात्मक कार्रवाई की गई है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा प्रचालित प्रमुख हवाईअड्डों पर, वर्ष 2019 के बाद सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के अंतर्गत पट्टे पर दिए गए एएआई के हवाईअड्डों पर और अन्य पीपीपी हवाईअड्डों पर यात्री संतुष्टि का आकलन, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (एसीआई) द्वारा किए गए हवाईअड्डा सेवा गुणवत्ता सर्वेक्षण (एएसक्यू) के माध्यम से किया जाता है। वर्ष 2024 के दौरान औसत एसीआई एएसक्यू सर्वेक्षण रेटिंग और विश्व रैंक अनुलग्नक-I में दी गई है।

(ख): वर्ष 2018 में, भारत सरकार ने पीपीपी के तहत छह एएआई हवाईअड्डों की बोली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) की अध्यक्षता में सचिवों के शक्ति-प्रदत्त समूह (ईजीओएस) का गठन किया। ईजीओएस ने बोली प्रक्रिया की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न प्रावधान

जैसे हवाईअड्डे का कोई पूर्व अनुभव न होना आदि शामिल थे। इन प्रावधानों ने सुनिश्चित किया कि इस प्रक्रिया में अधिक बोलीदाता हों जिससे अधिक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को छह हवाईअड्डों के अपने पीपीपी प्रस्ताव के लिए 10 निकायों से कुल 32 बोलियां प्राप्त हुईं और उसके बाद निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, इन छह हवाईअड्डों को उच्चतम बोलीदाता को पट्टे पर दे दिया गया। ईजीओएस द्वारा बोली प्रक्रिया के संबंध में निर्धारित रूपरेखा में कोई विचलन नहीं किया गया था।

(ग): वर्ष 2019 के बाद पट्टे पर दिए गए एएआई के छह हवाईअड्डों पर समान पीपीपी हवाईअड्डों की तुलना में लगाए गए प्रयोक्ता विकास शुल्क (यूडीएफ) और अन्य प्रमुख प्रभारों (लैंडिंग और पार्किंग प्रभारों) का विवरण अनुबंध-II में संलग्न है।

यात्री सेवा शुल्क (पीएसएफ)-सुरक्षा घटक को अब विमानन सुरक्षा शुल्क (एएसएफ) कहा गया है और वर्तमान में यह घरेलू यात्रियों से 200/- रुपये और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से 12 अमेरिकी डॉलर की दर से यह शुल्क लिया जाता है। एएसएफ का उपयोग हवाईअड्डों पर सुरक्षा प्रदान करने हेतु खर्च को पूरा करने के लिए किया जाता है।

(घ): भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (एईआरए), जो एक स्वतंत्र टैरिफ विनियामक है, द्वारा इन छह हवाईअड्डों के लिए वर्तमान नियंत्रण अवधि के लिए अनुमत कुल पूंजीगत व्यय लगभग 13681 करोड़ रुपये है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के अंतर्गत भागीदारों द्वारा अतिरिक्त निवेश से आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होती है, जिससे अतिरिक्त रोजगारों का सृजन होता है। हवाईअड्डों के विकास से यात्रियों की आवाजाही, पर्यटन विकास, रोजगार सृजन और भूमि निर्धारण के सर्किल दरों में वृद्धि होती है, जिसके परिणामस्वरूप संबंधित राज्य में विभिन्न करों/स्टाम्प शुल्कों आदि का संग्रह बढ़ता है और देश के समग्र विकास में योगदान होता है।

(ङ): भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा पीपीपी भागीदारों के साथ किए गए समझौतों के अनुसार, पीपीपी भागीदारों द्वारा किए गए कार्यनिष्पादन और अनुपालन की भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा स्वतंत्र इंजीनियरों, संपरीक्षकों, निरीक्षणों आदि के माध्यम से समय-समय पर निगरानी की जाती है।

रियायतग्राही को समय-समय पर प्रमुख निष्पादन संकेतकों की उपलब्धि और सेवा गुणवत्ता अपेक्षाओं के संबंध में एएआई को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, जैसा कि रियायत समझौते में विनिर्दिष्ट है।

हवाईअड्डा शुल्कों के संबंध में, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (एईआरए), प्रमुख हवाईअड्डों पर प्रदान की जाने वाली वैमानिकी सेवा के लिए टैरिफ निर्धारित करता है, जहाँ वह स्वामित्व की परवाह किए बिना प्रमुख हवाईअड्डों में एक समान टैरिफ पद्धति का अनुपालन करता है।

अनुलग्नक-I

दिनांक 07.08.2025 के लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 3034 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित विवरण

वर्ष 2024 के लिए एएआई द्वारा प्रचालित हवाईअड्डों, 2019 के बाद पीपीपी के तहत पट्टे पर दिए गए एएआई हवाईअड्डों और अन्य पीपीपी हवाईअड्डों की हवाईअड्डा सेवा गुणवत्ता (एएसक्यू) रेटिंग और रैंक			
क्र.सं.	हवाईअड्डे का नाम	2024	
		5 अंक के पैमाने पर रेटिंग	विश्व रैंक
एएआई हवाईअड्डे			
1	अमृतसर	4.68	85
2	भुवनेश्वर	4.88	67
3	कालीकट	4.82	76
4	चेन्नई	4.91	63
5	कोयंबटूर	4.75	81
6	गोवा	4.92	62
7	इंदौर	4.82	78
8	कोलकाता	4.88	68
9	पटना	4.74	82
10	पुणे	4.85	74
11	रायपुर	4.83	75
12	श्रीनगर	4.33	146
13	त्रिची	4.89	64
14	वाराणसी	4.89	66
15	चंडीगढ़*	5.00	36
	एएआई हवाईअड्डों का औसत	**4.81**	
2019 के बाद पटटे पर दिए गए पीपीपी हवाईअड्डे			
1	अहमदाबाद	4.98	52
2	लखनऊ	4.99	42
3	मंगलौर	4.96	58
4	गुवाहाटी	4.88	69
5	जयपुर	4.98	51
6	त्रिवेन्द्रम	4.82	77
	2019 के बाद पटटे पर दिए गए पीपीपी हवाईअड्डों का औसत	**4.94**	
अन्य पीपीपी हवाईअड्डे			
1	बैंगलौर	4.97	53
2	कोचीन	5.00	31
3	दिल्ली	5.00	1
4	गोवा (मोपा)	4.93	60
5	हैदराबाद	5.00	1
6	कन्नूर	5.00	32
7	मुंबई	5.00	1
	निजी हवाईअड्डों का औसत	**4.99**	

*चंडीगढ़ हवाई अड्डे का प्रचालन सीएचआईएएल द्वारा किया जाता है जो एएआई की सहायक कंपनी है।

अनुलग्नक- II

दिनांक 07.08.2025 के लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 3034 के उत्तर के भाग (ग) में संदर्भित विवरण

6 पीपीपी हवाईअड्डों और अन्य पीपीपी हवाईअड्डों पर यूडीएफ प्रभारों की तुलना (वित्त वर्ष 2025-26)

पीपीपी के अंतर्गत पट्टे पर दिए गए 6 एएआई हवाईअड्डे						अन्य पीपीपी/एएआई हवाईअड्डे			
हवाईअड्डे	पट्टे पर देने का वर्ष	यूडीएफ (₹ में)	लैंडिंग दरें (₹ प्रति मीट्रिक टन)	पार्किंग दरें (₹ प्रति मीट्रिक टन)		हवाईअड्डे	यूडीएफ (₹ में)	लैंडिंग दरें (₹ प्रति मीट्रिक टन)	पार्किंग दरें (₹ प्रति मीट्रिक टन)
मंगलौर	2020-21	735/315 (चढ़ने/ उतरने वाले यात्री)	950	49.30		बेंगलुरु	550	510	17
अहमदाबाद		600	441	20.09		हैदराबाद	750	440	14.10
लखनऊ		950	882	20.09		दिल्ली	129/56 (चढ़ने/उतरने वाले यात्री)	347	18
तिरुवनंतपुरम	2021-22	840/360 (चढ़ने/ उतरने वाले यात्री)	1400	10.65		मुंबई	175/75 (चढ़ने/उतरने वाले यात्री)	402	13.50
जयपुर		875/375 (चढ़ने/ उतरने वाले यात्री)	1295	15		मोपा (गोवा)	840/360 (चढ़ने/ उतरने वाले यात्री)	850	13
गुवाहाटी		625/265 (चढ़ने/ उतरने वाले यात्री)	1195	20.09		कन्नूर	850	485	12
						श्रीनगर	1050	-	10.32

******